Page No.
Date : / /

भूमि संसाधन

- भूमि एक संसाधन है
  - उपयोग
    - वनाच्छादित भूमि
    - कृषि योग्य भूमि
      - कुल बोया गया क्षेत्र
      - सकल बोए गए क्षेत्र
    - कृषि योग्य बंजर भूमि
    - कृषि अयोग्य बंजर भूमि
      - 5 वर्ष तक खाली (अवधि)
    - परती भूमि
- भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन
  - मिश्रित वृक्ष एवं बगीचे वाली भूमि
  - गैर-कृषि कार्यों में उपयोग की जाने वाली भूमि
  - चारागाह भूमि
  - सामान्य परती भूमि
- भूमि क्षरण / भूमि संसाधन का निम्नीकरण
  - कारण
  - प्रभाव
  - संरक्षण / प्रबंधन

भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन

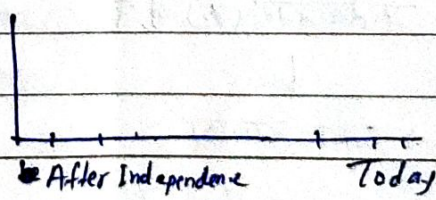

- समीक्षा
- कारण
- प्रभाव
  - +ve
  - -ve

NRSA
↓
National Remote Sensing Agency

वनाच्छादित भूमि (Forest Land)

- % ↑↓ by NRSA
  - भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन
- % ↑ by भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग
  - वन की परिभाषा में संशोधन
  - वृक्षारोपण
  - पुनर्वनीकरण

Page No.
Date : / /

कृषि योग्य भूमि

↓ कुल बोया गया क्षेत्र
↓ (शुद्ध) सकल बोया गया क्षेत्र

की अपेक्षा

↓
प्रतिशतता ↑
↓
GRP सफल

+ve { गहनता ↑, उत्पादकता ↑ }

-ve { पर्यावरणीय समस्या ↑ }

चारागाह भूमि

↓ पारंपरिक / स्थायी चारागाह भूमि
↓
प्रतिशतता (%) ↑
↓
GRP सफल

↓ श्वेत क्रांति कार्यक्रम के सफल होने के कारण
↓
- परती भूमि
- पशुओं के चारा के लिए उपयोग

मिश्रित वृक्ष एवं बगीचे वाली भूमि

↓
प्रतिशतता (%) ↑
↓ कारण
सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का सफल होना

Date :

गैर कृषि कार्यों में उपयोग की जाने वाली भूमि

↓

% ↑ (अप्रत्याशित दर से वृद्धि)

↓ कारण

- जनसंख्या में वृद्धि
- शहरीकरण
- औद्योगिकरण

→ भूमि संसाधन का उपयोग केवल फसलों को उपजाने के लिए नहीं करते हैं बल्कि विभिन्न प्रकार की आर्थिक एवं सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को संपन्न करने के साथ Infra. के विकास के लिए भी करते हैं इसलिए किसी भी देश को जनांकिकीय परिवर्तन के साथ आर्थिक एवं सामाजिक प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन के प्रवृत्ति का विश्लेषण करना भी आवश्यक हो जाता है।

भूमि संसाधन के उपयोग के आधार पर भूमि सर्वेक्षण विभाग के द्वारा देश में उपयोग की जानेवाली भूमि को वनाच्छादित भूमि, कृषि योग्य भूमि, चारागाह भूमि, मिश्रित वृक्ष और झाड़ी वाले भूमि, गैर-कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भूमि के साथ परती भूमि को भी ~~सम~~ सम्मिलित किया गया है।

वनाच्छादित भूमि के अंतर्गत उसे सम्मिलित किया जाता है जिसे वन विभाग के द्वारा वन

की परिभाषा के आधार पर अपने क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है।

स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक वनाच्छादित भूमि की प्रतिशतता में परिवर्तन होती रही है। NRSA के अनुसार भारत के पारंपरिक वनों के क्षे० में कमी आई है वहीं भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग के अनुसार वनाच्छादित भूमि के क्षे० में वृद्धि हुई है।

इस प्रकार के प्रवृत्ति का कारण जनसंख्या में वृद्धि के साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए पारंपरिक वनों के वृक्षों का कटाव किये जाने के कारण जहां पारंपरिक वनाच्छादित भूमि का संकुचन हुआ है वहीं दूसरी तरफ वन की परिभाषा में संशोधन किए जाने के कारण मिश्रित वृक्ष और झाड़ियों वाली भूमि को भी वनाच्छादित भूमि में सम्मिलित किया गया है इसके साथ ही वृक्षारोपण पर आधारित कार्यक्रम को प्राथमिकता देते हुए खाली छोड़ी गई भूमि पर वृक्षारोपण किए जाने के कारण जहां वनाच्छादित भूमि का विस्तार हुआ है वहीं पुनर्वनीकरण को प्राथमिकता दिए जाने के कारण पारंपरिक वनों की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है।

→ कृषि योग्य भूमि के अंतर्गत उस भूमि को सम्मिलित किया जाता है जिसका उपयोग फसलों को उगाने के लिए करते हैं। स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक कृषि के क्षेत्र में Infra के स्तर पर सुधार के साथ संस्थागत जटिलताओं को दूर करने के लिए किए जानेवाले प्रयासों के कारण कृषि योग्य बंजर भूमि के साथ चारागाह